उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001
दूरभाष : पी0बी0एक्स0–2225439, 2222363, 2228461
फैक्स : 0522–2274526, 2228841, 2274578

पत्र संख्या–453 रो/2022–848रो/होली/78 Vol-II   दिनांक: 17 मार्च, 2022

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
समस्त सेवा प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो/वित्त),
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषयः–दिनांक 17/18.03.2022 को होली के पर्व पर अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था सुलभ कराने के सम्बन्ध में।

इस वर्ष होली की तिथियां 17/18 मार्च 2022 है। पर्व के पूर्व एवं समाप्ति के पश्चात् यात्रियों के बढ़े हुए आवागमन के दृष्टिगत यात्रियों को अतिरिक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 13.03.2022 से 22.03.2022 तक की अवधि में अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जाना आवश्यक है।

इस अवधि में निगम के संचालन तथा आय में अधिकाधिक वृद्धि के उद्देश्य से पूर्व की भांति विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की जाती है। योजना का पर्याप्त प्रचार–प्रसार करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

1– दिल्ली से मुरादाबाद–बरेली होते हुये पूर्वी क्षेत्र के स्थानों के लिये गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली क्षेत्र के संचालन का वर्तमान प्रतिबन्ध शिथिल किया जाता है।

2– दिल्ली से अलीगढ़–कानपुर होते हुये पूर्वी क्षेत्र के लिये अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा व इटावा क्षेत्र के लिये संचालन के वर्तमान प्रतिबन्ध को शिथिल किया जाता है।

3– पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से यदि दिल्ली हेतु प्रारम्भिक प्वाइंटस से 60 प्रतिशत से अधिक यात्री लोड मिलता है तो सभी पूर्वी क्षेत्र दिल्ली के लिये अतिरिक्त सेवायें संचालित कर सकते है।

4– दिनांक 13.03.2022 से 22.03.2022 तक लखनऊ व कानपुर हेतु समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक यात्री उपलब्धता के दृष्टिगत अतिरिक्त सेवा संचालित कर सकते है।

5– वापसी ट्रैफिक हेतु जिन क्षेत्रों/स्थानों से यातायात प्रारम्भ होगा और गन्तव्य स्थान हेतु यदि सीधा लोड फैक्टर 65 प्रतिशत से अधिक हो तो सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक उक्त गन्तव्य हेतु अतिरिक्त सेवा संचालित कर सकेंगे।

6– इस अवधि में शत–प्रतिशत निगम बसों को ऑनरोड रखा जाये। यह सुनिश्चित किया जाए कि मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर से प्रत्येक डिपो में अतिरिक्त असेम्बलीज व स्पेयर पार्टस की उपलब्धता बनी रहे। मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक) द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जायेगा।

7– उल्लिखित अवधि दिनांक 13.03.2022 से 22.03.2022 तक क्षेत्रीय एवं डिपो स्तर पर तैनात अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रत्येक दशा में उपलब्ध रहेंगे। गम्भीर बीमारी जैसी अतिविशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर उक्त अवधि में अधिकारियों/पर्यवेक्षको/चालकों/परिचालकों एवं अन्य कर्मचारियों को कोई भी अवकाश/साप्ताहिक विश्राम/डीडीआर स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

Scanned By Scanner Go

8– उपरोक्त अवधि में चालकों/परिचालकों, कार्यशाला व संचालन शाखा के कर्मचारियों व पर्यवेक्षकों को ड्यूटी रोस्टर तैयार कर नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित कर दिया जाये।

9– इस अवधि मे अनुबन्धित बसों का शत–प्रतिशत संचालन सुनिश्चित किया जाये तथा अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा। वाहन स्वामी अपनी वाहनों में आवश्यक मरम्मत कराकर प्रत्येक दशा में संचालन के लिये उपलब्ध करायेगें। क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, डिपो द्वारा उक्त अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– सभी प्रारम्भिक प्रस्थान बस स्टेशन पर समस्त बसों की बुकिंग कर यात्रियों के टिकट बनाये जाने के उपरान्त पंजिका में यात्रियों की संख्या एवं आय अंकन कर बसों का प्रस्थान कराया जाए तथा ई0टी0एम0/मार्ग पत्रों की क्लोजिंग करा दी जाये, ताकि न्यूनतम निर्धारित संख्या मे यात्री लेकर ही बसें प्रस्थान कर सकें।

11– अधिकाधिक राजस्व अर्जन के उद्‌देश्य से समस्त बस क्रू को निर्देशित किया जाये कि वे मार्ग पर पड़ने वाले सभी स्टापेजों से यात्री उठायें।

12– उपरोक्त होली पर्व की अविध में चूँकि बस अड्डों पर यात्रियों की विशेष भीड होगी, अतः त्योहार की अवधि में वरिष्ठ पर्यवेक्षक तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, बस स्टेशन/डिपो में उपस्थित रहें।

13– कौशाम्बी, आई.एस.बी.टी., कश्मीरी गेट, आनन्द विहार, सराय काले खाँ बस स्टेशनों मे जिन क्षेत्रों की बसें जायेगीं उन क्षेत्रों द्वारा उक्त बस स्टेशनों पर दो–दो केन्द्र प्रभारी भेजे जाये। केन्द्र प्रभारियों का दायित्व होगा कि वे अपने–अपने क्षेत्रों की बसों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से करायें। दिल्ली में तैनात अन्य क्षेत्रो के पर्यवेक्षक एवं कर्मचारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, गाजियाबाद के निर्देशन में कार्य करेंगे। इसी प्रकार लखनऊ क्षेत्र के बस स्टेशन चारबाग, कैसरबाग एवं आलमबाग तथा कानपुर क्षेत्र के झकरकट्टी बस स्टेशन में भी सम्बन्धित क्षेत्र द्वारा आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षक तैनात किये जा सकते है, जो बसों के संचालन पर समुचित नियंत्रण रखेगें।

दिल्ली के सभी बस स्टेशनों, कौशाम्बी बस स्टेशन एवं गाजियाबाद बस स्टेशन तथा लखनऊ के सभी बस स्टेशनों एवं कानपुर क्षेत्र के झकरकटी बस स्टेशन से संचालन एवं यातायात व्यवस्था के लिए क्रमशः क्षेत्रीय प्रबन्धक, गाजियाबाद, लखनऊ एवं कानपुर द्वारा विशेष रूप से उक्त अवधि में यातायात व्यवस्था का अनुश्रवण करेगें और किसी कठिनाई एवं बसों की आवश्यकता की स्थिति मे क्षेत्रों के बीच सामंजस्य स्थापित कर यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करायेगें।

दिनांक 13.03.2022 से 22.03.2022 तक निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक मार्ग पर होने वाले जाम/दुर्घटना आदि के फलस्वरूप संचालन को सुचारु बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे:–

क्र0सं0	मार्ग	क्षेत्रीय प्रबन्धक
1	आनन्द विहार–गाजियाबाद–हापुड़	गाजियाबाद
2	गाजियाबाद–मेरठ	मेरठ
3	आनन्द विहार–सिकन्द्राबाद	गाजियाबाद

उपरोक्त मार्गो पर सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, जिला प्रशासन/पुलिस से सम्पर्क करके सुचारु यातायात व्यवस्था को बनाये रखेंगे तथा पीक अवधि में मार्ग पर जाम/दुर्घटना की स्थिति में क्रेन के माध्यम से संचालन को सुचारु करायेंगे। उक्त मार्गो पर क्षेत्र का एक प्रवर्तन भी उपलब्ध रहेगा, जो बसों का सुचारु संचालन करेगा तथा आनन्द विहार एवं सम्बन्धित क्षेत्र/डिपो निरन्तर सम्पर्क में रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर मार्ग परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

(ब) दिनांक 13.03.2022 से 22.03.2022 तक 10 दिन की अवधि हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना निम्नानुसार प्रभावी रहेगी:–

Scanned By Scanner Go

1— ऐसे चालक/परिचालक (नियमित/संविदा) भी शामिल होगें जो न्यूनतम 09 दिवसों में उपस्थित होकर दैनिक रूप से निम्नवत् निर्धारित औसत कि0मी0 का संचालन करते हैं तो रु0 350.00/—प्रति दिवस की दर से एक मुश्त रु0 3150.00/— का विशेष प्रोत्साहन का भुगतान किया जायेगा।

क्र0सं0	संचालन	न्यूनतम औसतन कि0मी0 प्रतिदिन
1	ग्रामीण (अर्न्तजनपदीय)	300
2	उपनगरीय डिपो, लखनऊ क्षेत्र	250
3	नोएडा/ग्रेटर नोएडा डिपो, नोएडा क्षेत्र	250

यदि कोई चालक एवं परिचालक पूरे 10 दिवस में उपस्थित होकर उक्त मानक से अधिक कि0मी0 अर्जित करता है तो उसे रु0 400.00 प्रतिदिन की दर से एक मुश्त रु0 4000/— देय होगा।

संविदा चालकों/परिचालकों को प्रोत्साहन अवधि में उपरोक्त निर्धारित मानक से अधिक कि0मी0 अर्जित करने पर अतिरिक्त कि0मी0 पर 55 पैसे प्रति कि0मी0 अतिरिक्त देय होगा।

2— होली अवधि में 10 दिन लगातार ड्यूटी करने वाले डिपो कार्यशाला एव क्षेत्रीय कार्यशाला में कार्यरत कार्मिकों को एक मुश्त रु0 1,200/— तथा 09 दिन ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को एक मुश्त रु0 1,000/— प्रोत्साहन के रूप में देय होगा।

2.1— इस अवधि में 10 दिवस ड्यूटी करने वाले आई.टी.आई. संविदा कार्मिकों को एक मुश्त रु0 600/— तथा 09 दिन डियूटी करने वाले कार्मिकों को एक मुश्त रु0 500/— प्रोत्साहन के रूप में देय होगा।

3— उपरोक्त श्रेणी से भिन्न कार्मिकों का भी उपयोग पर्व अवधि में सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा किया जाता है। इस निमित्त बस स्टेशनों पर तैनात कार्मिकों/उपाधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्व अवधि में समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को निम्नवत् धनराशि की विशेष स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

(I) समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक को रु0 20,000/— की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका वितरण क्षेत्रीय समिति की संस्तुति अनुसार अच्छे कार्य वाले क्षेत्र के कर्मचारियों/उपाधिकारियों/कार्यशाला के आउटसोर्स कार्मिकों को उनके कार्य के अनुसार सीधे प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित करेंगे।

(II) सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, डिपो को रु0 50/— प्रति निगम एवं अनुबन्धित बस के आधार पर आगणित धनराशि जिसे वे स्वयं आहरित नहीं करेंगे, डिपो के कर्मचारियों/उपाधिकारियों/कार्यशाला के आउटसोर्स कार्मिकों में वितरण करेंगे।

4— प्रदेश के निम्न बस स्टेशन जहॉ यात्रियों की अत्याधिक उपलब्धता के दृष्टिगत बसों के सुव्यवस्थित संचालन किये जाने की आवश्यकता सर्वाधिक है, इन चिन्हित क्षेत्रों के बस स्टेशन पर अधिकारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों/उपाधिकारियों की राउण्ड द क्लाक ड्यूटी लगायी जायेगी:—

क्षेत्र का नाम	बस स्टेशन का नाम
गाजियाबाद	1— आनन्द विहार 2— कौशाम्बी डिपो 3— सरायं काले खॉ 4— कश्मीरी गेट
मुरादाबाद	1— मुरादाबाद 2— कटघर
मेरठ	1— भैंसाली 2— सोहराबगेट
बरेली	1— बरेली 2— सेटेलाइट
लखनऊ	1— कैसरबाग 2— आलमबाग 3—चारबाग
सहारनपुर	1— सहारनपुर
आगरा	1— आई0एस0बी0टी0
अलीगढ़	1— मसूदाबाद
कानपुर	1— झकरकटी
इटावा	1— इटावा

—3

Scanned By Scanner Go

उपरोक्त चिन्हित बस स्टेशनों हेतु प्रोत्साहन के मद में तैनात कार्मिकों/पर्यवेक्षकों को धनराशि वितरण के उद्देश्य से रु. 5,000/– (रुपया पांच हजार मात्र) प्रति बस स्टेशन की दर से कुल धनराशि रु. 90,000/–(रुपया नब्बे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त चिन्हित बस स्टेशनों पर तैनात किये गये कार्मिक एवं पर्यवेक्षक, जिनके द्वारा होली के पर्व पर संचालन व्यवस्था बनाये रखने में उत्कृष्ट कार्य किया हो, को क्षेत्रीय समिति चिन्हित कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों को उक्त आवंटित धनराशि के आधार पर वितरण करेंगे।

(क) उपरोक्त प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत योजना का लाभ लेने वाले चालक/परिचालक तथा कार्यशाला के कर्मचारियो को स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय प्रबन्धक भुगतान कर के निगम मुख्यालय को सूचित करेगें।

(ख) प्रोत्साहन का लाभ लेने वाले अन्य कर्मचारी/उपाधिकारी के भुगतान की मांग मुख्यालय भेजी जायेगी तथा मुख्यालय से भुगतान की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

(ग) यदि किसी डिपो/क्षेत्र का लोड फैक्टर गत् वर्ष की होली से कम प्राप्त होता है तो उस स्थिति में बिन्दु संख्या ब–3 (I) व (II) का लाभ अनुमन्य नही होगा।

(घ) गत् वर्ष की तुलना में आय प्रति कि0मी0 एवं लोड फैक्टर का प्रमाण पत्र डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान की मांग के साथ निगम मुख्यालय प्रेषित करेंगें। इसके पश्चात् ही बिन्दु संख्या ब–3 (I) व (II) के भुगतान की स्वीकृति मुख्यालय स्तर से प्रदान किया जायेगा।

इस अवधि में प्रोत्साहन की अन्य योजनाएं यथावत् लागू रहेंगी।

इस प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करायें तथा क्षेत्र/डिपो/बस स्टेशनों के सूचना पट पर लगायें ताकि सभी कार्मिक प्रोत्साहन से अवगत हो सकें। होली के पर्व पर अतिरिक्त संचालन की व्यवस्था के लिए स्थानीय स्तर पर निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराना सुनिश्चित करायें।

कोविड–19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(आर0पी0–सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन/संचालन/प्राविधिक), निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त प्रधान प्रबन्धक/नोडल अधिकारी, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6. गार्ड पत्रावली।

(आशुतोष गौड़)
प्रबन्धक (संचालन)

Scanned By Scanner Go